


रकम 396 रकम 0.7600 है, रकम 403 रकम
3 2000 है, रकम 405 रकम 0.97 है, मुलाक़िमा
9 मुलाक़िमा 13.65 है के बावत पक्षकारों की
मौजूदगी में विभाजन फ़तवा माननीय राजस्व
मण्डल अधिका के फ़ां 10546 दिनांक 05.10.20
को अन्तु रूप में आ का 2 दिवस के देरा करने हेतु
आदेशित किया जाने पर नलमीलदा सुकुम्
मण्डल (सुकुम्) ने आने पर फ़ां 22 अ/2022/115 दिनांक 7/2/22 को देरा किया।
विभाजन फ़तवा पर वकील वारीगण को
सुका 2022 वकील वारीगण के मुलाक़िमा विभाजन
फ़तवा वाद वारीगण आरिम् डिम्नी काने पर अपनी
महफ़िल चक़्त की है विभाजन फ़तवा मुलाक़िमा
प्रचक्रि निर्णय व प्रचक्रि डिम्नी के आउमा के
आर: वाद वारीगण मुलाक़िमा विभाजन फ़तवा के
आउमा डिम्नी किया जाग व्यापेचित है आर:

आदेश

वाद वारीगण मुलाक़िमा विभाजन फ़तवा के आउमा
आरिम् कद के डिम्नी किया जाता है विभाजन फ़तवा
निर्णय व डिम्नी का भाग रहेगा। नलमीलदा
मण्डल को आदेशित किया जाता है कि वह मुलाक़िमा
विभाजन फ़तवा के आउमा राजस्व रिकार्ड के
आमल-दराफ़ का पालन करे। 2 वर्षी पक्षकारों
आपना-2 वरक करे। द्वादउमा परच डिम्नी पारि
है। पलापणी के मल सुमा होकर दर्ज नम्ब के
कर हो एद वाद नलमीलदा 1/दिनांक 1/वर्त हो
आदेश आर दिनांक 18/2/22 को मे देरा -
लिखवाया जाका सुकुम् व्यापालद सुगाया गया।


18.02.22
जज अरुण चक्रवर्ती
मुम्बई (म)